न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 19/21 (वाद)
GCMS No. : 2021/45

1. श्री वजेराम पिता मोती डांगी निवासी होली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री लोगरिया पिता ना डांगी निवासी होली तह. मावली।
2. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता वादी।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 14.11.2022

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया की वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति होना बताकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 को पाबंद कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिशिष्ट 1 से 7 में वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होना अंकित किया है तथा वादी ने अपना वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जबकि कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा का वाद रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व पेश नहीं किया जा सकता है न ही रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती हैं। ऐसी अवस्था में वादी का वाद वादी की प्लीडिंग के आधार पर ही बार्ड बाई लॉ हैं। इसलिए वादी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज होने योग्य हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी का कब्जा भी नहीं है तथा कानुनन बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं चल सकता है न बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है ऐसी अवस्था में वादी का वाद व्ययु खारिज होने योग्य हैं। वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

वाद विधि से वर्जित होकर बार्ड बाई लॉ है इसलिए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् खारिज फरमाया जावें। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर सव्यय, निरस्त फरमाया जावें।

3. अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया जा चुका हैं।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं नजीर RRT 2016(1) Page 114, RRT 2018(1) Page 692, RRT 2018(2) Page 1275 पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पिता नानजी उर्फ नोजी उर्फ नोजा का निकटतम वारिस स्वयं को होना बताकर प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया हैं। चूंकि वादी द्वारा उक्त वाद केवल स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई हैं जबकि अविभाजित सम्पति होने से प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी बताकर प्रतिवादी सं. 1 को पाबंद कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं जबकि वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादी सं. 1 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। अतः यदि खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का सहखातेदार के विरूद्व चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वजेराम पिता मोती डांगी निवासी होली तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री लोगरिया पिता ना डांगी निवासी होली तह. मावली।
2. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 19/21 (वाद) GCMS No. : 2021/45

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.11.2022 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested